श्रीधर सी०, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा में दिनांक 08.06.2013 को 11.00 बजे पूर्वा० रामनगर एवं 1.00 बजे अपराह्न बगहा–2 इन्दिरा आवास लाभार्थी शिविर का निरीक्षण टिप्पणी :–

1.0 रामनगर प्रखण्ड मुख्यालय (इन्दिरा आवास लाभार्थी पासबुक वितरण) शिविर :–

1.1 निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि नौरंगिया दोन पंचायत के इन्दिरा आवास काउंटर पर उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रामनगर द्वारा पासबूक का छाया कॉपी कराकर उसी पर फोटो चिपकाकर एवं राशि की प्रविष्टि कर लाभार्थियों को वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो नियमतः सही नहीं है, शाखा प्रबंधक के द्वारा पास–बुक वितरण की नियमतः कार्रवाई नहीं किया गया। अध्यक्ष, उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतिहारी को शाखा प्रबंधक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाए।

1.2 शिविर में सभी पंचायतों के लिए अलग–अलग काउन्टर निर्धारित किया गया। शिकायत दर्ज करने के लिए अलग काउन्टर भी बनाया गया है। वरीय उपसमाहर्त्ता श्री सुखदेव प्रसाद द्वारा शिविर में इन्दिरा आवास लाभार्थियों के लिखित शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। काउन्टरों पर कम्प्यूटर से निकालकर एडभाईस की तीन प्रति रखकर प्रत्येक लाभुकों से पासबूक की पावती प्राप्त करें। काउन्टर निरीक्षण के क्रम में प्रत्येक पासबूक में लाभुकों का फोटो चिपकाया हुआ पाया गया।

1.3 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 395 लाभार्थियों का चयन इस प्रखण्ड अन्तर्गत किया गया है एवं खाता खोला गया है। प्रखण्ड मुख्यालय शिविर में योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया :–

क्र.	पंचायत का नाम	प्राप्त लक्ष्य वर्ष 2013–13				लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्त उपलब्धि				प्रथम किस्त की राशि	कुल राशि	अभ्युक्ति
		SC/ST	GEN	MINO	TOTAL	SC/ST	GEN	MINO	TOTAL			
1	धाकराहां	135	64	26	225	2	2	8	12	30000	360000	
2	खटौरी	176	83	35	294	4	19	0	23	30000	690000	
3	वनकटवा करमहिया	105	50	20	175	0	0	0	0	0	0	
4	बगही	167	78	32	277	13	0	0	13	30000	390000	
5	मठिया	61	29	11	101	5	29	11	45	30000	1350000	
6	महुई	84	40	16	140	21	7	0	28	30000	840000	
7	मनचंगवा	78	37	15	130	10	0	0	10	30000	300000	
8	भावल	86	41	17	144	0	0	0	0	0	0	

9	परसौनी	94	44	18	156	0	0	0	0	0	0	
10	सबेया	49	23	10	82	0	0	0	00	0	0	
11	सपही	102	48	20	170	0	0	0	0	0	0	
12	सोहसा	94	44	18	156	1	30	18	49	30000	1470000	
13	सोनखर	115	54	22	191	0	0	0	0	0	0	
14	डेनमरवा	94	44	19	157	4	29	0	33	30000	990000	
15	तौलाहा	113	54	22	189	40	37	0	77	30000	2310000	
16	जोगिया	76	36	15	127	1	36	15	52	30000	1560000	
17	नौरंगिया दोन	83	38	18	139	51	2	0	53	30000	1590000	
18	गुदगुदी	177	84	34	295	0	0	0	0	0	0	
	कुल	1889	891	368	3148	152	191	52	395	30000	11850000	

1.4 जिला पदाधिकारी द्वारा शिविर में अनुमण्डल पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्त्ता श्री सुखदेव प्रसाद, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पंचायतों/गांवों से आये हुए लाभार्थीगण एवं त्रिस्तरीय पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों को शिविर में उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया गया एवं मंच से इन्दिरा आवास लाभुकों के बीच पास–बुक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लाभुकों को हिदायत दिया गया कि पासबूक लेकर किसी बिचौलिया या मुखिया/वार्ड सदस्य के पास नहीं रहेगें।

1.5 राज्यांश एवं केन्द्रांश मद से इन्दिरा आवास प्रत्येक लाभुक को बैंक पासबूक के माध्यम से 75000=00 (पचहत्तर हजार)रूपये वितरण किया जाना है। पासबूक में 30000=00 (तीस हजार) रूपये राशि की प्रविष्टि पाया गया, जबकि ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में प्रथम किस्त के रूप में 50000=00 (पचास हजार) रूपये विमुक्त किया जाना है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बाकी 20000=00 (बीस हजार) रूपये लाभार्थियों के खाता में एडभाईस के माध्यम से दो दिनों के अंदर जमा करें। सभी लाभुकगण 4 दिनों के बाद बैंक में जाकर पासबूक अपटूडेट करा लेगें। उप विकास आयुक्त को दूरभाष पर सम्पर्क कर सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समीक्षाकर अविलंब यह सुनिश्चित करायें कि सभी इन्दिरा आवास लाभुकों को प्रथम किस्त 50000=00 (पचास हजार) रूपये की राशि पासबूक में एडभाईस के माध्यम से विमुक्त कर दी गयी है।

1.6 सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी I.A.y लाभुकों के स्थलों का भ्रमण कर अभियंताओं के पर्यवेक्षण में कार्य प्रारंभ हेतु अविलंब lay-out कराना सुनिश्चित करें।

1.7 I.A.y लाभुकों को पासबूक स राशि निकालने के लिए तिथि निर्धारित किया जाएगा, उसदिन स्वयं लाभार्थी पासबूक सहित बैंक जायेगें। शाखा प्रबंधक द्वारा लाभार्थियों के फोटो का मिलानकर भुगतान के लिए allow करेगें। शाखा प्रबंधक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बिचौलिया द्वारा अवैध पैसा वसूली का मामला पाया जाए तो दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाए।

1.8 लाभुकगण बैंक से राशि निकाल कर ईंट, बालू, सिमेन्ट, छड़ का क्रय कर स्थल पर सुरक्षित रखकर आवास निर्माण कार्य प्रारंभ करेगें तथा कार्यालय में सामग्री क्रय का अभिश्रव अभिलेख में विधिवत संधारित किया जाए। पुनः दो माह पश्चात् स्वयं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा इन्दिरा आवास निर्माण स्थलों के यूनिटवार स्थल सत्यापन कर कार्य प्रगति का जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रत्येक यूनिटों के lintel level तक कार्य पूरा करने के बाद दूसरी किस्त की राशि 25000=00 (पच्चीस हजार) रूपये विमुक्त किया जाएगा।

2.0 बगहा–2 प्रखण्ड मुख्यालय (इन्दिरा आवास लाभार्थी पासबुक वितरण) शिविर :–

2.1 बगहा–2 इन्दिरा आवास योजना निरीक्षण के क्रम प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा मात्र 50 बैंक पासबुक वितरण हेतु शिविर में उपलब्ध बताया गया, जो पंचायत वार निम्नवत् है :–

कमांक	पंचायत का नाम	बैंक पासबुक की संख्या	बैंक शाखा का नाम	अभ्युक्ति
1	बकुली पंचगांवा	10	पी.एन.बी. बगहा	पासबूक पर लाभार्थी का फोटो चिपकाया हुआ नहीं पाया गया।
2	खरहर त्रिभुवनी	19	सेन्ट्रल बैंक बरवल	पासबुक पर लाभार्थी का फोटो चिपकाया हुआ है
3	ढ़ोलबजवा लक्ष्मीपुर	1	पी.एन.बी. बगहा	पासबुक पर लाभार्थी का फोटो चिपकाया हुआ नहीं है एवं लाभार्थी उपलब्ध नहीं है।
4	जिमरी नौतनवा	2	पी.एन.बी. बगहा	पासबुक पर लाभार्थी का फोटो चिपकाया हुआ नही है एवं लाभार्थी उपलब्ध नहीं है।
	जमुनापुर	13	पी.एन.बी.	पासबुक पर लाभार्थी का फोटो चिपकाया हुआ नहीं है एवं 11 लाभार्थी उपलब्ध नहीं है।

2.2 पंजाब नेशनल बैंक, बगहा द्वारा इन्दिरा आवास लाभुकों के बिना फोटो चिपकाए पासबुक वितरण के लिए उपलब्ध कराकर कार्य में घोर लापरवाही बरती गयी है, जिसके लिए शाखा

प्रबंधक को सख्त हिदायत दिया गया कि भविष्य में बिना फोटो चिपकाए इन्दिरा आवास लाभुकों का पासबुक वितरण के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाए।

2.3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगहा–2 को निदेश दिया गया कि लाभुकों के बिना फोटो चिपकाये पास बुक वितरण नहीं किया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि जनोपयोगी इन्दिरा आवास शिविर आयोजन में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगहा–2 द्वारा कोई विशेष अभिरूचि नहीं लिया गया, जिनके उदासीनता एवं प्रशासनिक दुरदर्शिता के अभाव के कारण I.A.Y लाभुकों के पासबुक वितरण कार्यक्रम की उपलब्धि नगण्य रही है, जिसमें अपेक्षित प्रगति के लिए सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की आवश्यकता है।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 895/गो0, दिनांक 20.06.2013

प्रतिलिपिः– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामनगर/बगहा–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, बेतिया/अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया/बगहा/नरकटियागंज/निदेशक, रा.नि.का. जि.ग्रा.वि.अ.बेतिया/निदेशक, लेखा, जि.ग्रा.वि.अ.बेतिया/सभी प्रखण्डों के प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण/जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, बेतिया/क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पश्चिम चम्पारण/अध्यक्ष, उत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतिहारी/क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, मुजफ्फरपुर एवं अन्य सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 895/गो0, दिनांक 20.06.2013

प्रतिलिपिः– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।